वासगीत पर्चा

इस योजना के अंतर्गत किसी रैयती भूमि पर बसे भूमिहीन व्यक्तियों को बी० पी० पी० एच० टी० एक्ट, 1947 के तहत गृह हेतु वासगीत पर्चा का वितरण किया जाता है। रैयत भूमि पर एक साल से अधिक समय से रह रहे परिवार को गृह हेतु वासगीत पर्चा का वितरण द्वारा इस भूमि का रैयत घोषित किया जाता है | वर्ष 2006-07 में कुल 402.87 एकड़ भुमि 10494 व्यक्तियों के बीच वितरित किया गया। वर्ष 2007-08 में 15700 व्यक्तियों के बीच बासगीत पर्चा वितरित की गई है, जिसमें 800.06 एकड़ भूमि सन्निहित है। वर्ष 2008-09 में 14184 व्यक्तियों के बीच 613.43 एकड़ भूमि पर्चा वितरीत हुआ। वर्ष 2009-10 में 10399 व्यक्तियों के बीच 366.03 एकड़ भूमि पर्चा वितरित हुआ। व र्ष 2010-11 में 15558 व्यक्तियों के बीच 532.51 एकड़ भूमि पर्चा वितरित हुआ। वर्ष 2011-12 में 10292 व्यक्तियों के बीच 433.46 एकड़ भूमि वितरित की गई है। इस निमित लागू कानून के तहत पात्र व्यक्ति द्वारा आवेदन दिये जाने के साथ-साथ राजस्व कर्मियों के द्वारा सर्वेक्षण कराते हुए त्वरित कार्रवाई किये जाने हेतु कार्य योजना बनाई जा रही है।